न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 28/2023
जीसीएमएस न0 2023/46

1. श्रीमति मन्जु धर्मपत्नि रमेशचन्द्र जी जाति अग्रवाल आयु वयस्क निवासी रतलाम जिला रतलाम म०प्र० ।

– प्रार्थिया

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. नगर पालिका निम्बाहेडा जरिये अधीशाषी अधिकारी, नगर पालिका निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० –

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री ऋषभ कुमार सेठिया – अधिवक्ता प्रार्थिया
2– श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी – अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 21/10/2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि वाके मौजा निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा की पुराने आराजी नं0 3615/1425 तादादी 1 बिस्वा तादादी किस्म कु प्रथम लगानी 0.40 पैसा है जिसकी खातेदार काश्तकार प्रार्थिया हैं। आराजी नं० 3615/1425 तादादी 1 बिस्वा के वर्तमान खसरा नं0 2995/1909 तादादी 0.0100 हेक्टेयर नगर पालिका निम्बाहेडा के आबादी में दर्ज हो गई। प्रार्थिया ने अपने खातेदारी की आराजियात पुराने आराजी नं0 3615/1425 तादादी 1 बिस्वा जिसके नये नम्बर 2995/1909 तादादी 0.0100 हेक्टेयर का आबादी मे भू परिवर्तन किसी भी प्रयोजनार्थ नहीं कराया है।

2. सेटलमेन्ट रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियो की गफलत व गलती की वजह से प्राथर्थीया के खातेदारी की आराजियात नगर पालिका निम्बाहेडा के खाते में आबादी मे दर्ज हो गई। जिसका इन्द्राज प्रार्थिया दुरुस्त कराने की अधिकारीणी हैं।

3. प्रार्थिया ने राजस्व कर्मचारी एवं अधिकारीयों से राजस्व रेकार्ड में उसकी नवीन आराजी नं0 2995/1909 तादादी 0.0100 हेक्टेयर मौजा निम्बाहेडा को कृषि भूमि दर्ज करने के लिए राजस्व रेकार्ड में संशोधन इन्द्राज दुरुस्ती करने हेतु अनेको बार कहा परन्तु बार बार कहने पर भी विपक्षीगण संशोधन नही कराते है इसलिए प्रार्थिया को नवीन राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती हेतु कार्यवाही हाजा पेश करना पड रही हैं।

4. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आवेदन पत्र अनुसार नवीन राजस्व रेकार्ड, जमाबंदी मौजा निम्बाहेडा में इन्द्राज दुरुस्ती फरमा नवी[illegible] नं0 2995/1909 तादादी 0.0100 हेक्टेयर को विपक्षी नं० 2 नगर[illegible]से आबादी भूमि से हटा कर प्रार्थिया के खातेदारी में कृषि [illegible] की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:14:46 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी नं0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी ने वकालत नामा पेश किया, तथा अपने जवाब मे अंकन किया कि नगर पालिका

की भूमि को प्रार्थना पत्र के माध्यम से नुकसान कारत नहीं करे व नगर पालिका के हितो को सुरक्षित रखे तथा प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की और निवेदन किया कि

I. ग्राम निम्बाहेडा की साबिक आ.न. 1425 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि विविध खातेदारों के नाम दर्ज रेकार्ड थी।

II. दोराने सेटलमेन्ट उक्त आराजी का ना.स. 4083 से बंटवारा किया गया जिससे विविध खातेदारों के नाम अलग–अलग भूमि दर्ज की गई। अनुग्लक–1

III. उक्त बंटवारे में क.स. 6 पर मन्जूदेवी पति रमेशचन्द्र अग्रवाल सा. रतलाम का नाम एंव क. स. 23 पर मन्जूदेवी पति शान्तिलाल अग्रवाल का नाम दर्ज रेकार्ड है।

IV. ना.स. 4548 से श्रीमति मन्जूदेवी पति शान्तिलाल अग्रवाल की भूमि रूपान्तरण से नगरपालिका के नाम दर्ज हुई। अनुग्लक–2

V. दोराने सेटलमेन्ट उक्त नामान्तकरण दर्ज किये जाने से नवीन सेटलमेन्ट रेकार्ड मे उक्त नामान्तरकरणों का अमल नहीं हुआ।

VI. मिलान क्षेत्रफल अनुसार आ.न. 1425 के नवीन नम्बर 1909 रकबा 0.44 बना। –3

VII. दोराने सेटलमेन्ट दर्ज किये गए नामान्तरकरणो का नवीन जमाबन्दी में अमल किया गया जिससे पुराने उक्त बंटवारे का अमल दरामद जमाबन्दी सम्वत 2067–70 के खाता संख्या 237 की आ.न. 1909 पर किया गया एंव नामान्तरकरण के कम अनुसार ही बढ़ते नम्बर 2930 से 2955 तक दिए गए। अनुग्लक–4 क.स. 6 पर दर्ज मन्जूदेवी पति रमेशचन्द्र अग्रवाल सा. रतलाम के नाम आ.न. 2935 / 1909 रकबा 0.01 एंव क.स. 23 पर मन्जूदेवी पति शान्तिलाल अग्रवाल के नाम 2952 / 1909 रकबा 0.01 दर्ज हुआ। ना.स. 4548 से श्रीमति मन्जूदेवी पति शान्तिलाल अग्रवाल की भूमि रूपान्तरण से नगरपालिका के नाम दर्ज हुई। जमाबन्दी सम्वत 2068–71 में श्रीमति मन्जूदेवी पति शान्तिलाल अग्रवाल की भूमि जो रूपान्तरण से नगरपालिका के नाम दर्ज की जानी थी सहवन से मन्जूदेवी पति रमेशचन्द्र की भूमि नगरपालिका के नाम आबादी भूमि दर्ज होना एंव मन्जूदेवी पति शान्तिलाल की भूमि कृषि भूमि ही रहजाना जाहिर आया है। अनुग्लक 4–5 प्रकरण में नाम की समानता होने से एसी स्थिति होना जाहिर आया है अतः प्रकरण में मन्जूदेवी पति शान्तिलाल की भूमि आ.न. 2952 / 1909 रकबा 0.01 को आबादी नगरपालिका के नाम एंव आ.न. 2935 / 1909 रकबा 0.01 को मन्जूदेवी पति रमेशचन्द्र अग्रवाल के नाम कृषि भूमि चाही–ए के रूप में दर्ज किया जाने हेतु अनुशंषा की गई।

6. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

7. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors.** - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his*

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:14:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

8. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

9. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रकरण में नाम की समानता होने से प्रकरण में मन्जूदेवी पति शान्तिलाल की भूमि आ.न. 2952/1909 रकबा 0.01 को आबादी नगरपालिका के नाम एंव आ.न. 2935/1909 रकबा 0.01 को मन्जूदेवी पति रमेशचन्द्र अग्रवाल के नाम कृषि भूमि चाही–ए के रूप में दर्ज किये जाने हेतु उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा ए के आ.न. 2952/1909 रकबा 0.01 की भूमि मन्जूदेवी पति शान्तिलाल के बजाए आबादी नगरपालिका के नाम एंव आ.न. 2935/1909 रकबा 0.01 को मन्जूदेवी पति रमेशचन्द्र अग्रवाल के नाम कृषि भूमि चाही–ए के रूप में दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:14:46 IST
Reason: SelfAttested